भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1033

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

पुरानी सड़कों का रखरखाव

1033 श्री सुनील बाबूराव मेंढे:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्रीमती लॉकेट चटर्जी:
श्री तापिर गाव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुरानी सड़कों और पुलों की मरम्मत और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सड़क अवसंरचना, विशेषकर पुराने पुलों, की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित करने का है; और

(ग) 2015 में आरंभ की गई हरित राजमार्ग परियोजना का राज्य-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) पुलों, संरचनाओं आदि सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव और अनुरक्षण विभिन्न तरीकों जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के ठेकेदारों/रियायतग्राहियों द्वारा निर्माण, और दोष दायित्व सह अनुरक्षण/संचालन अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के अनुरक्षण ठेकों जैसे संचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी), निष्पादन आधारित अनुरक्षण संविदा (पीबीएमसी), लघु अवधि रखरखाव अनुबंध आदि और टोल, संचालन और हस्तांतरण रियायतों से किया जाता है।

(ख) पुलों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए दृश्य के साथ-साथ उपकरण आधारित आवधिक निरीक्षण, मूल्यांकन और मॉनीटरिंग को अधिदेशित दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समय पर मरम्मत/पुनर्रूद्धार संबंधित हस्तक्षेप के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न घटकों की संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखा जाए। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पुलों में वास्तविक समय आधार पर संरचनात्मक अवस्था की निगरानी भी की जाती है। मंत्रालय ने देश में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर पुलों और अन्य संरचनाओं की निगरानी और अनुरक्षण के लिए भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) भी संस्वीकृत की है।

(ग) हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रतिरोपण, सौंदर्यीकरण और अनुरक्षण) नीति, 2015 में राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों को हरित बनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गाधिकार पर वृक्षारोपण उक्त नीति के अनुसार किया जाता है।

******